अति तत्काल

संख्या एन-22/2/2021-पी एण्ड सी
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 15 नवम्बर, 2021

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए अक्तूबर, 2021 माह का मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

****

अधोहस्ताक्षरी को उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **अक्तूबर, 2021** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में संलग्न करने का निदेश हुआ है।

(डी.के. सोनकर)
निदेशक
दूरभाष नं0 23386210

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.बी./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

उपभोक्ता मामले विभाग
अक्तूबर, 2021 माह के लिए मासिक सारांश

अक्टूबर 2021 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप/निर्णय।

1. संप्रतीक और नाम (पीआईयू) अधिनियम के तहत अनुपालन में आसानी:

1.1 समय-समय पर रजिस्ट्रारों/सब राजिस्ट्रारो द्वारा अधिनियम के तहत विभाग को ऐसे मामलों में संदर्भ दिए जाते है जहाँ किसी एसोसिएशन/न्यास/सोसाइटी आदि द्वारा पंजीकृत करवाए जाने के लिए अपेक्षित नाम भारत सरकार या किसी विधि के तहत सरकार द्वारा गठित किसी प्राधिकरण/निगम द्वारा संरक्षण दिए गए प्रतीत होते है।

तंत्र को सुप्रवाही बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभाग ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है और ऐसे संदर्भों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। ऑनलाइन सिस्टम के बारे में जानकारी साझा करने और पोर्टल की विशेषताओं के साथ-साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों को भी प्रदर्शित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के रजिस्ट्रारों/सब रजिस्ट्रारों के साथ एक अखिल भारतीय स्तर की कार्यशाला 29 अक्तूबर, 2021 को आयोजित की गई। इस ऑनलाइन मेकैनिज्म, जिसे 1 दिसंबर, 2021 से प्रचालित किया जाएगा, से लगने वाले कुल समय में कमी आने की संभावना है, जिससे दक्षता और पारदर्शिता दोनों आएगी।

2. उपभोक्ता संरक्षण पहल:

2.1. माह के दौरान, उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए ई-दाखिल पोर्टल ने सिक्किम में काम करना शुरू कर दिया। इसके साथ, ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 22 हो गई है और अब 476 उपभोक्ता आयोग इसमें कवर हो गए हैं। राष्ट्रीय आयोग (एनसीडीआरसी) उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए पहले से ही ई-दखिल सेवाएं प्रदान कर रहा है।

2.2. 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के एक भाग के रूप में, विभाग ने राज्य उपभोक्ता आयोगों और जिला उपभोक्ता आयोगों में सबसे पुराने लंबित मामलों पर विशेष ध्यान देने सहित उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। राज्य और जिला आयोगों की रैंकिंग के आधार पर परिणाम 15 मार्च, 2022 अर्थात् 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' पर घोषित किया जाएगा।

2.3. साइबर-धोखाधड़ी के खतरे का सामना करने के संदर्भ में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अधिकारियों और गृह मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। (I4C) इसका उद्देश्य हितधारकों के बीच सक्रिय समन्वय के माध्यम से एक एकीकृत कार्य विकसित करना है। सबसे पहले, एनसीएच कर्मियों को साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को उनकी शिकायत ऑनलाइन और हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करने हेतु मार्गदर्शन देने के लिए प्रशिक्षण को पूरा कर लिया गया है। उपभोक्ताओं को बेहतर जानकारी देने और जागरूक करने के लिए विभाग ने एक एडवोकेसी अभियान भी आरंभ किया है।

3. विधिक मापविज्ञान अधिनियम – पैकबंद वस्तु नियमों में संशोधन:

3.1 उपभोक्ता अधिकारों और हितों को संतुलित करते हुए व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम 2011 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए मानक पैक आकार की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता कीमतों की तुलना करने और एक जानकारीयुक्त विकल्प बनाने में सक्षम हैं, खुदरा बिक्री के लिए पहले से पैक की गई सभी वस्तुओं के लिए यूनिट बिक्री मूल्य लागू किया गया है।

पूर्व-पैक वस्तुओं के निर्माण के माह और वर्ष की घोषणा अनिवार्य कर दी गई है; आयात का महीना और वर्ष घोषित करने का विकल्प समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इससे आयातित वस्तुओं के मामले में अस्पष्टता उत्पन्न हो रही थी।

पहले से पैक की गई वस्तुओं पर एमआरपी की घोषणा को सरल बनाया गया है; अनिवार्य एमआरपी घोषणा अब सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में होगी।

संख्या में मात्रा को व्यक्त करने के तरीके को स्पष्ट करके संख्या में बेची गई मात्रा की घोषणा को सरल बना दिया गया है।